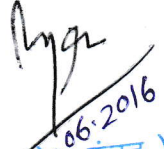


संख्या—, दिनांक 25 जून, 1885 पृष्ठ 9 विभाग— दो सरकारी आदेशों का नियम संग्रह तीन-498-1

कार्यभार प्रमाणक

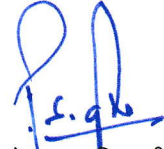
प्रमाणित किया जाता है कि राज्य समन्वयक/संयुक्त परियोजना निदेशक/मुख्य परिचालन अधिकारी, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, योजना भवन, लखनऊ के पद का कार्यभार प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-516/2015/1261/35-1-2015-2/1(86)/2014, दिनांक 14 जून, 2016 के अनुपालन में जैसा कि इसमें बताया गया है कि दिनांक 14.06.2016 के अपरान्ह में हस्तान्तरित किया।

प्रति हस्ताक्षरित


(अ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)
मुख्य सचिव
उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

(पी०एस० ओ०आ)

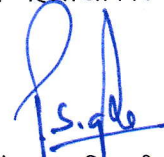
अवमोचन अधिकारी



प्रमाणित किया जाता है कि स्थाई अग्रिम की जो आवश्यक अभिस्वीकृति मेरे पास थी, उसे महालेखाकार के पास भेज दिया गया है।

(पी०एस० ओ०आ)

अवमोचन अधिकारी



टिप्पणी— प्रमाणक पर केवल उन्हीं अवमोचन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए जिनमें महालेखाकार की अधिस्वीकृति भेजी जानी हो, उदाहरणार्थ वह अधिकारी जो किसी जिले में कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण कर रहा हो प्रमाणक पर हस्ताक्षर करेगा, किन्तु वह अधिकारी जो अधीनस्थ पद का भार ग्रहण कर रहा हो और जिनके लिए अग्रिम उसे उच्चतर अधिकारियों के लिए स्वीकृत धनराशि में सम्मिलित हो, इसमें हस्ताक्षर नहीं करेगा।

स्थान - लखनऊ

दिनांक - 14/6/16

यहाँ वह स्थानीय क्षेत्र लिखिये जिसका सम्बन्ध कार्यालय से हो और उसका उपयुक्त पदनाम भी लिखिये जैसे "मेरठ प्रभाग" "आगरा जिला", "पश्चिमी भाग" ।

प्रत्येक दशा में कार्यालय द्वारा अधिकारियों के नाम उनके हस्ताक्षरों के अतिरिक्त स्पष्ट अक्षरों में भी लिखे जाने चाहिए।

विशेष दृष्टव्य— प्रमाणक की एक प्रति (जिसके साथ कोई भी आवरण, ड्राफ्ट या पत्र नहीं होना चाहिए) हस्तान्तरण के दिन निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिए।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन/उपाध्यक्ष, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. सचिव, संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार।
7. उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के समस्त सदस्यगण।
8. वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग/व्यय नियंत्रण-5/आय-व्ययक अनुभाग-1,2/लेखा अनुभाग-1
9. वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग।
10. व्यवस्थाधिकारी, योजना भवन।
11. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग।
12. सम्बन्धित अनुभाग।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,

संख्या : 516 / 2015 / 1261 / 35-1-2015-2 / 1(86) / 2014

लखनऊ : दिनांक- 14 जून 2016

कार्यालय - झाप

श्री पी0एस0 ओझा राज्य समन्वयक बायो इनर्जी मिशन सेल, उ0प्र0 को तत्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालनार्थ बोर्ड में राज्य समन्वयक/संयुक्त परियोजना निदेशक/मुख्य परिचालन अधिकारी पद पर तैनात किया जाता है।

2. उक्त आदेश उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के अधिशासी समिति की प्रथम बैठक दिनांक : 11 मई 2016 में लिये गये निर्णय के अनुपालन के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

अरुण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

सं0 516 (01) / 35-1-2016-2 / 1(86) / 2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन/उपाध्यक्ष उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4. सचिव-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/ग्रामीण विकास मंत्रालय/पंचायतीराज मंत्रालय/पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय/कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय/खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय/भूमि संसाधन मंत्रालय/जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार।
5. उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के समस्त सदस्य गण।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(जे0बी0 सिंह)

विशेष सचिव।